झारखण्ड सरकार

YEAR of HORTICULTURE 2012

जैविक प्रमाणीकरण : एक परिचय

स्वस्थ एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के लिए अधिक मूल्य

विश्वास

मानकों के अनुसार प्रमाणपत्रण

OFAJ
ORGANIC FARMING AUTHORITY OF JHARKHAND

निरीक्षण

प्रकाशक :

झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन एवं
झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार
कृषि भवन परिसर, कांके रोड, राँची - 834008
e-mail : nhmjharkhand@rediffmail.com
www : organicjharkhand.in

मुख्य सम्पादक :

डा० प्रभाकर सिंह, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार
सह निदेशक, झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन
एवं उद्यान, झारखण्ड

आर्गेनिक फार्मिंग ऑथारिटी ऑफ झारखण्ड

जैविक प्रमाणीकरण

जैविक प्रमाणीकरण, जैविक उत्पाद की गुणवत्ता एवं सत्यता को प्रमाणित करने के लिए तृतीय पक्ष द्वारा कराया गया एक मूल्यांकन है। वर्तमान समय में उपभोक्ता स्वास्थ्यवर्धक एवं पर्यावरणाकूल उत्पाद के लिए इच्छुक मूल्य देने को तैयार हैं, जिससे किसान जैविक कृषि अपना कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते है।

जैविक गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये चार मुख्य स्तम्भ हैं।

- विश्वसनीयता
- मानक
- निरीक्षण
- प्रमाणन

जैविक उत्पादों की बढ़ती माँग को ध्यान में रखते हुए सभी देशों ने जैविक कृषि करने के कुछ मापदण्ड तैयार किये हैं। इस प्रकार प्रमाणपत्रण कार्यक्रम इन मापदण्डों के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट उदेश्यों को प्राप्त करने की नियत से होता है अतः सभी प्रमाणीकरण संस्थायें अपने देश में अपनाये जा रहे मापदण्डों के आधार पर सरकार द्वारा बनायी गयी सरकारी संस्था जैसे भारत में **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण** (एपिडा) से अनुमोदन प्राप्त करती हैं।

जैविक उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने के लिए उस देश के द्वारा अपनाये जा रहे मापदण्डों पर आधारित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है अतः प्रमाणीकरण संस्थायें उत्पादकों की आवश्यकता के अनुसार कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अलग अलग देशों में

जैविक उत्पाद को निर्यात करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। जैसे भारत के लिए NSOP, अमेरिका के लिए USDA तथा जापान के लिए JAS आदि।

प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रतिवर्ष उस भूमि पर ली जाने वाली फसल तथा दस्तावेजों का निरीक्षण को यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्था तथा किसान निर्धारित मापदण्डों को अपना रहा है या नही। इन जानकारियों का विश्लेषण कर उसमें त्रुटियों को निकाल कर उन त्रुटियों की एक सूची संस्था/किसान के पास भेजती है और किसान उन त्रुटियों को सुधार करता है। तत्पश्चात एक प्रतिवेदन प्रमाणीकरण संस्था को भेजा जाता है और प्रमाणीकरण संस्था प्राप्त जानकारियों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा) तक पंहुचाती है अन्ततः एपिडा के अनुमोदन के पश्चात प्रमाणीकरण संस्था प्रमाण पत्र निर्गत करती है।

भारत में जैविक प्रमाणीकरण तीन प्रकार से कराये जा सकते हैं।

- ❖ तृतीय पक्षीय प्रमाणीकरण
- ❖ भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS)
- ❖ अन्य साधनों द्वारा

तृतीय पक्षीय प्रमाणीकरण

तृतीय पक्ष मूल्यांकन किसी भी प्रमाणीकरण संस्था द्वारा कराया गया प्रमाण पत्र है जिसमें कि किसान समूह प्रमाणीकरण संस्था को निर्धारित प्रमाणीकरण शुल्क अदा करता है।

भागीदारी गारंटी प्रणाली

विकासशील देश जैसे भारत, जहाँ कमजोर आर्थिक स्थिति वाले किसानों के जैविक उत्पाद को स्थानीय बाजारों में बेचने के लिए भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) प्रमाणीकरण का एक सस्ता एवं सरल माध्यम है। इस प्रणाली में किसान समूह स्वयं निरीक्षण कर यह सत्यापित करता है कि उसका उत्पाद पूर्णतः जैविक है। इस प्रणाली में किसानों द्वारा एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) को लागू किया जाता है तथा एक किसान

समूह दूसरे किसान समूह का निरीक्षण कर मापदण्डो का अवलोकन कर सत्यता को निर्धारित करता है। इस प्रकार से जैविक प्रमाणीकरण का व्यय कम होता है तथा किसान स्थानीय बाजार में अपना उत्पाद अच्छी कीमत पर बेच सकता है।

जैविक प्रमाणपत्र

जैविक प्रमाणपत्र भूमि पर जैविक तरीके से की गयी खेती की सत्यता को निर्धारित करते हुए उस भूमि के लिए निर्गत किया जाता है। जैविक प्रमाण पत्र प्रत्येक देश के द्वारा अपनाये जा रहे मापदण्डों के आधार पर होता है जिसके मिलने के बाद उत्पादक अपना उत्पाद उस देश में बेच सकता है। जैविक प्रमाणीकरण एकवर्षीय तथा द्विवर्षी फसलों वाली भूमि के लिए त्रिवर्षीय कार्यक्रम है। जबकि बहुवर्षीय फसलों वाली भूमि पर यह चार वर्षों में होता है। इस दौरान प्रत्येक परिवर्तन वर्ष के लिए एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। किसान इन वर्षों के दौरान भी अपना उत्पाद जैविक विधि से पैदा उत्पाद के रूप में बाजार में बेच सकता है और रासायनिक उत्पाद से कुछ ज्यादा मूल्य पा सकता है।

उत्पादकों/छोटे किसानों का सामूहिक प्रमाणीकरण

छोटे उत्पादकों/किसानों के लिए व्यक्तिगत प्रमाण पत्रण की कीमत अवांछनीय रूप से उनके द्वारा बेचे गये उत्पाद से अधिक होने के कारण उनके द्वारा जैविक प्रमाणीकरण करवाना संभव नहीं है। अतः 15 वर्ष पूर्व सरकारी अधिनियमों के आने से पहले ऐसे किसानों के समूह के लिये जैविक मापदण्डों का पूर्ण रूप से अनुसरण करने हेतु विकासशील देशों के प्रमाणपत्र दाता संस्थानों के सहयोग से एक व्यवस्था विकसित की गयी है।

छोटे किसान समूहों के प्रमाणपत्रण हेतु अर्हताऐं

छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए इस प्रणाली को लागू किया गया है। समूह प्रमाणपत्रण प्रणाली में केवल छोटे किसान ही

सदस्य बन सकते हैं। इसमें एक ही भौगोलिक स्थिति, उत्पादन व्यवस्था तथा समान विक्रय व्यवस्था वाले कृषक समूहों के क्लस्टर बनाये जाते हैं, जिनके लिऐ कुछ अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं जो निम्न हैं।

- एक केन्द्रीय समूह जो उस समूह के द्वारा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हो और साथ ही यह समूह कोई भी स्वंयगठित सहकारी/कृषक संस्था या कोई भी सामान्य क्रय-विक्रय कर्ता जो उस किसान को अनुबंधित करता है हो सकता है।
- सामूहिक प्रमाणीकरण के अंतर्गत छोटे क्षेत्रफल वाले किसानों के समूह के अन्दर सभी प्रसंस्करण एवं संचालन गतिविधिओं के लिए एक सामूहिक प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाता है जिसे समूह के संचालक व्यक्तिगत और स्वतत्रं रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
- प्रत्येक किसान को संचालक संस्था के साथ अनुबंध करना होता है कि किसान उस समूह द्वारा लागू जैविक मानकों का अनुसरण करेगा और आवश्यकता होने पर अपने खेत व खलिहान के निरीक्षण की अनुमति देगा।
- अगर कोई किसान किसी भी अनुबंधित साधन के प्रयोग का दोषी पाया जाता है तो किसान पर संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी अथवा किसान को समूह से निष्कासित भी किया जा सकता है।

इस व्यवस्था के अर्न्तगत किसान समूह दो प्रणालियों के अन्दर कार्य करता है।

- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS)
- आन्तरिक गुणवत्ता प्रणाली (IQS)

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS)

विकासशील देशों में अधिकांश काश्तकार सूदूर क्षेत्रों में स्थित हैं जहां पर एकल प्रमाणीकरण पर व्यय राजस्व उसके द्वारा उत्पादन से प्राप्त धन से ज्यादा हो जाता है ऐसी स्थिति में समूह प्रमाणीकरण एक सरल एवं सस्ता साधन है। किसान समूह बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी किसान एक समान प्रकार से खेती करते हों तथा उनके खेत का क्षेत्रफल सामान्यतः 4 हे0 से कम हो इससे प्रमाणीकरण की लागत कम आती है। एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS - Internal Control System) में अधिकतम 500 किसान हो सकते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर कम से कम 50 हे0 लेने से ICS अधिक प्रभावी तरीके से कार्य करता है। ICS प्रणाली में एक ICS प्रबंधक, दो या तीन आंतरिक निरीक्षक, विपणन प्रबंधक, क्षेत्राधिकारी तथा अनुश्रवणक

आदि सदस्य होते हैं। ICS प्रणाली सभी किसानों का उनकी खेती, फसल, बीज तथा उत्पाद का पूर्ण ब्यौरा रखता है और वर्ष में दो बार आंतरिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करता है कि सभी मानकों को अपनाया जा रहा है कि नहीं। ICS प्रणाली में एक संचालन पुस्तिका (Operating manual) बनायी जाती है जिसमें सभी मानकों को निर्धारित किया जाता है साथ ही यदि कोई किसान अगर इन मानकों का उल्लघंन करता है तो उस पर दण्ड संहिता के अनुरूप कार्यवाही भी की जाती है।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) के कार्यन्वयन हेतु प्रक्रियाएं

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) को लागू करने के लिए उत्पादक समूह द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए।

1. सदस्यों का पंजीकरण
2. उत्पादक समूह के सदस्यों के निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
   - ❖ आन्तरिक गुणवत्ता प्रणाली पुस्तिका
   - ❖ आन्तरिक मानक संबधी प्रलेख
   - ❖ NPOP प्रलेख
   - ❖ किसान प्रलेख जैसे आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, अनुबंध पत्र तथा आंतरिक निरीक्षण पत्र आदि। (Application Form, Entrance Form, Agreement Form, Internal Inspection farm)
   - ❖ मौजूदा कृषि की पद्धति एवं व्यवस्थाएं
   - ❖ बुआई से कटाई तक की गयी सभी प्रक्रियाओं का ब्यौरा तथा उत्पादों की बिक्री के लिए किये गये सभी प्रयासों का ब्यौरा तथा विवरण
   - ❖ वार्षिक फार्म निरीक्षण जांच सूची
   - ❖ किसानों तथा फील्ड अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा
3. परिचालन प्रलेख (Operating Document)
4. जोखिम मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण नियंत्रण संबधी बातें (Risk Assessment)
5. आंतरिक निरीक्षण (Internal Inspection)
6. वाह्य निरीक्षण (External Inspection)
   - ❖ फसल पैदावार संबधी अनुमान
   - ❖ आंतरिक अनुमोदन

- अनुपालन न करना तथा दण्ड
- भंण्डारण तथा रख-रखाव प्रक्रियाएं

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) के लाभ

- व्यवहारिक एवं कम खर्च वाली व्यवस्था।
- उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं बाजारीकरण हेतु अधिक प्रभावशाली व्यवस्था।
- समूह के अन्दर एवं बाहर बेहतर संचार एवं सहकारिता।
- प्रभावशाली गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था।
- संगठित प्रशिक्षण द्वारा बेहतर क्षमता विकास।
- जैविक उत्पादों के विपणन की बेहतर संभावनायें।

आन्तरिक गुणवत्ता प्रणाली (IQS)

समूह प्रमाणीकरण आंतरिक गुणवत्ता की प्रणाली पर निर्धारित है जिसमें निम्नलिखित अवयव शामिल हैं।

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का क्रियान्वयन
- आंतरिक मानक
- जोखिम मूल्यांकन

किसान समूह का प्रमाणपत्रण वाहय प्रमाणीकरण संस्था द्वारा आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के प्रलेखन, प्रणाली के कर्मचारियों की योग्यता तथा प्रणाली की कागजी कार्यवाही की वार्षिक जाँच के आधार पर करती है।

आन्तरिक गुणवत्ता प्रणाली की स्थापना

आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली की स्थापना हेतु निम्नलिखित अर्हतायें हैं।

- आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली का विकास

- उत्पादन समूह की पहचान
- समूह प्रमाणीकरण के बारे में प्रशिक्षण
- योग्य कर्मचारियों का चुनाव
- आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के लिए मानकों को रखने वाली संचालन पुस्तिका
- मानकों का सुगम एवं सतत क्रियान्वयन
- आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के अभिलेखों का सफल अनुसरण, समीक्षा एवं उन्नयन

आन्तरिक गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधन

आन्तरिक गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधन एवं क्रियान्वयन हेतु एक बुनियादी ढाँचा तैयार किया जाता है। इसके अर्न्तगत मुख्य अधिकारी आन्तरिक गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधक होते हैं। इसका उत्तरदायित्व आंतरिक, वाहय निरीक्षण, फील्ड स्टाफ में समन्वयन एवं अनुमोदन स्टाफ का समन्वयन आदि।

आन्तरिक गुणवत्ता प्रणाली में निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है।

- आन्तरिक गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधक (IQS Manager)
- आंतरिक निरीक्षक (Internal Inspector)
- अनुमोदन प्रबंधक / समिति (Approval Manager/ committee)
- क्षेत्राधिकारी (Field Officer)
- विपणन अधिकारी (Marketing Officer)
- मालगोदाम प्रबंधक (Warehouse In charge)

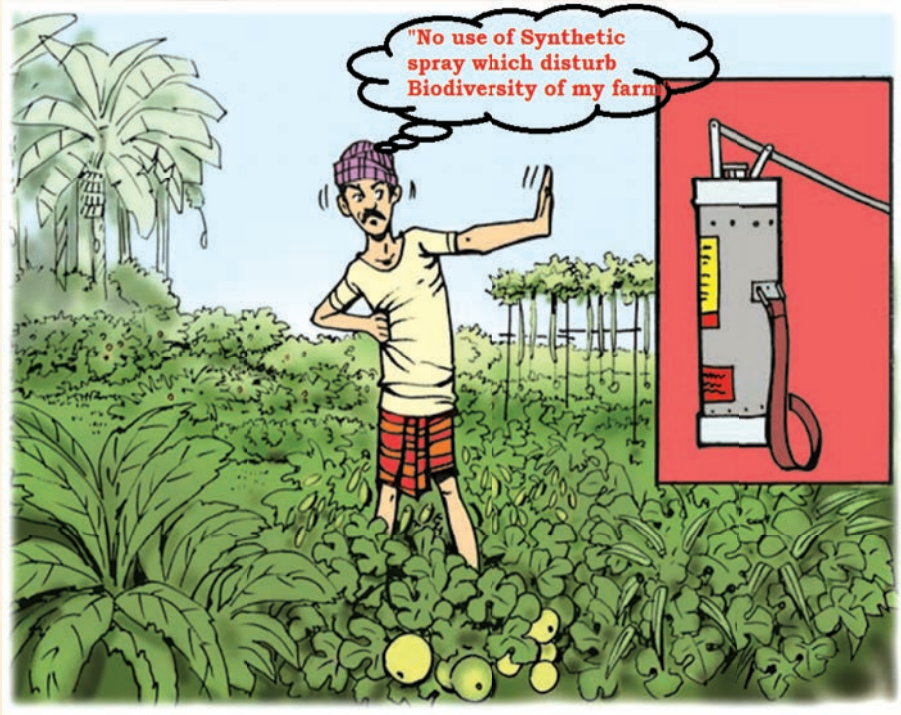

आंतरिक मानक (Internal Standards)

आंतरिक मानक, आन्तरिक गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधक (IQS Manager) द्वारा NPOP मानकों के दिशानिर्देशों के अतंर्गत इनको स्थानीय भाषा में तैयार करता है। यदि किसान आंतरिक मानकों को कम पढा लिखा होने की वजह से नहीं समझ पाता है तो इसमें सरल उदाहरणों द्वारा उसको समझाया जाता है। उदाहरण के रूप में आंतरिक मानकों में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं को समझाया जाता है।

- उत्पादन घटक का मतलब
- अधूरे रूपातंरण से पूर्ण रूपातंरण के सभी कार्य
- रूपातंरण की समय सीमा

- ❖ उत्पादन मापदण्ड (मृदा प्रबंधन, बीज प्रबंधन, पोषक तथा कीट व रोग प्रबंधन, अनुमोदित उपादान आदि) कटाई के बाद का प्रबंधन आदि।

प्रतिकूलित हित न होने का प्रमाणपत्र (Conflict of Interest)

IQS के किसी भी कर्मचारी का किसी भी प्रकार का अपना हित सिद्ध नहीं होना चाहिए अर्थात वह किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता है। सभी संभावित हितों को ध्यान में रखकर एक घोषणा पत्र का निर्माण करना चाहिए।

प्रमाणीकरण का उद्देश्य

प्रमाणीकरण किसानों द्वारा अपनाये गये मानकों की सत्यता को निर्धारित करता है और साथ ही साथ प्रमाण पत्र की सहायता से किसान अपने जैविक उत्पाद पर लाभ भी प्राप्त करता है।

भारतवर्ष में एपिडा द्वारा अनुमोदित प्रमाणीकरण संस्थाओं की सूची

S.No	Certification Agencies	Contact Person	E.mail
1	Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, Mumbai	Mr. R.K. Sharma Director	scinfo@inbureauveritas.com
2	ECOCERT India Pvt. Ltd, Aurangabad	Mr. Selvam Daniel Managing Director	office.india@icocert.in, certification@ecocert.in
3	Nature Organic Certification Agency (NOCA), Pune	Mr. Sanjay Deshmukh Managing Director	nocaindia@gmail.com
4	Control Union Certification, Mumbai	Mr. Dirk Teichert Managing Director	cuc@controlunion.in cucindia@controlunion.com controlunion@vsnl.com
5	IMO Control Pvt. Ltd, Banglore	Mr. Umesh Chandrashekhar, Director	imoind@vsnl.com
6	APOF Organic Certification Agency (AOCA), Banglore	Mr. Dorairaj Chief Operating Officer	aocabangalore@yahoo.co.in
7	Indian Organic Certification Agency (INDOCERT), Cochin (Kerala)	Mr. Mathew Sebastian Executive Director	info@indocert.org

8	Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, Thiruvalla (Kerala)	Mr. Bobby Issac Director	info@laconindia.com
9	SGS India Pvt. Ltd, Gurgaon	Mr. Amresh Pandey Asst. Manager	amresh.pandey@sgs.com
10	OneCert Asia Agri Certification (P) Ltd, Jaipur	Mr. Sandeep Bhargava Chief Executive Director	info@oncertasia.in, sandeep@onecertasia.in
11	Rahasthan Organic Certification Agency, (ROCA), Jaipur	Mr. Yashpal Mhawat Director	Rocajpr.cb@gmail.com
12	Chhattisgarh Certification Society, Raipur	Mr. A.K.Singh, IAS Chief Executive Officer	cgcert@gmail.com
13	Intertek India Pvt. Ltd,New Delhi	Mr. Asish Gaur Head, Certification (Food Services)	ashish.gaur@intertek.com
14	Uttarkhand State Organic Certification Agency (USOCA)	Sh. Chandan Singh Mehra Director	uss_opca@rediffmail.com, ua_usoca@yahoo.co.in
15	Vedic Organic Certification Agency (VOCA), Hyderabad	Dr. (Mrs) M.Usha Managing Director	voca_org@yahoo.com, usha_preethan@yahoo.co.in
16	Food Cert India Pvt. Ltd., Hyderabad	Mr. Srihari Kotela Director	foodcert@foofcert.in
17	Tamil Nadu Organic Certification Department, (TNOCD), Coimbatore	Mr. T. Gopalkrishnan Director	tnocdcbe@gmail.com
18	ISCOP (Indian Society for Certification of Organic Product), Coimbatore, TN	Dr. K.K. Krishnamurthi President	Iscop_cbe@yahoo.in profdrkkk@yahoo.com
19	Aditi Organic Certification Pvt. Ltd.	Mr. Narayan Upadhyaya, Director	aditiorganic@gmail.com
20	TUV India Pvt. Ltd., Mumbai	Mr. Anil Rairikar Managing Director	mumbai@tuv-nord.com
21	Madhya Pradesh State Organic Certification Agency, Bhopal (MPSOCA)	Mr. K.C. Paliwal Managing Director	md.mpsoca@gmail.com
22	Boicert India Pvt. Ltd, Indore	Mr. Dilip Dhakar Managing Director	info@biocertindia.com
23	Export Inspection Agency (EIA), New Delhi	Mr. A.C.Dutta Joint Director	eia-delhifood@eicinida.gov.in, eia-delhi@eicindia.gov.in
24	Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA), Bhubneshwar	Shri Aditya Kumar Patra Quality Manager	directorossca@rediffmail.com deo@ossopca.org

Jharkhand State Horticulture Mission : Directorate of Horticulture, Jharkhand
Organic Farming Authority of Jharkhand
(Department of Agriculture & Sugarcane Development, Jharkhand)
Krishi Bhawan Campus, Kanke Road, Ranchi-834008
Phone 0651-2902201, Fax 0561-2230739
E-mail-organicjharkhand2012@gmail.com • Website : www.organicjharkhand.in

2387_10/12_PAT / Mob.: 08969138885